

बलविन्द्रकौर उर्फ हरविन्द्रकौर व वीरपालकौर उर्फ प्रीतपालकौर नामक ओर कोई महिलायें निवास नहीं करती ना ही वादीयागण के परिवार में इन नामों की कोई महिलायें है। उपरोक्त रकबा वादीयागण को विरास्तन प्राप्त है। वादीयागण का अपने पीहर में नाम कमशः बलविन्द्रकौर वा वीरपालकौर प्रचलित होने से तत्कालीन समय भूमि अभिलेखों में इन्ही नामों से भूमि उनके पक्ष में नामान्तरित कर दी गई ओर यही नाम अभिलेखों में चलता आ रहा है। मगर वादीयागण के शादी के बाद के व्यक्तिगत दस्तावेजात में उनके नाम कमशः हरविन्द्रकौर व प्रीतपालकौर दर्ज होने से वादीयागण को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, हस्तान्तरण करने ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी वा लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादीयागण के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिए वादीयागण अपने नाम की दुरुस्ती करवाते हुये राजस्व अभिलेखों में अपने उक्त दोनो नाम दर्ज करवा पाने की कानूनन अधिकारनी है। वादीयागण ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर दिनाक 16-06-2016 को सम्पर्क कर जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती का अनुरोध किया तो यह कहकर दुरुस्ती से इंकार कर दिया कि न्यायालय के डिक्री/आदेश से ही दुरुस्ती हो सकेगी। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखाम्त है। वादीयागण के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः वाद वादीयागण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीयागण बहक वादीयागण खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाया जायें कि वाके चक 6 पी०एस० तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 50/46 में प०न० 161/273 मु०न० 24 की 1.5810 है० नहरी, प०न० 161/275 गु०न० 39 की 1.5810 है० नहरी मय गैर० मु०रास्ता कुल खाता योग 3.162 है० नहरी मय गैर मु०रास्ता वादीयागण की ब०हि०ब० खातेदारी व इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 10/7 में प०न० 159/278 मु०न० 58 कुल खाता योग 0.9230 है। नहरी मय खाला में वादीयागण का 1/2 हिस्सा में से 2/5 हिस्सा व इसी चक के संयुक्त खाता संख्या 9/8 में प०न० 158/271 मु०न० 5 की कुल खाता योग 5.188 है० नहरी भूमि में 1.729 है० में से वादीयागण की 2/5 हिस्सा एवं चक 7 पी०एस०के संयुक्त खाता संख्या 91/85 में प०न० 167/273 मु०न० 14 की 1.2650 है० नहरी, प०न० 171/275 मु०न० 27 की 2.4800 है० नहरी, प०न० 164/275 मु०न० 34 की 1.7710 है० नहरी, प०न० 167/276 मु०न० 40 की 4.3010 है० नहरी, प०न० 169/277 मु०न० 47 की 3.3380 है० नहरी मय खाला व प०न० 166/277 मु०न० 50 की 2.5810 है० नहरी मय खाला कुल खाता योग 15.7360 है। नहरी मय खाला खातेदारी में 247 हि. में से वादीयागण की 2/5 भाग वादीयागण की है तथा घोषित किया जावे कि दोनों नाम कमश बलविन्द्रकौर उर्फ हरविन्द्रकौर वा वीरपालकौर उर्फ प्रीतपालकौर वादीयागण के ही है। घोषणात्मक डिक्री अनुसार जमाबंदिया संवत 2069-2072 व उसके पश्चात के समस्त रिकार्ड में वादीयागण के नाम की दुरुस्ती करते हुये वादीयागण के नाम कमशः "बलविन्द्रकौर" एवं "वीरपालकौर" के स्थान पर वादीयागण के दोनों नाम "बलविन्द्रकौर उर्फ हरविन्द्रकौर" एवम "वीरपालकौर उर्फ प्रीतपालकौर" दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं०1 को फरमायें। अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीयागण को दिलाना मुनासिब समझे वे भी वादीयागण को प्रतिवादी से दिलाये जावे।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार रायसिंहनगर को मौका जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्र जारी किया गया। सरकार की तरफ से पैरोकार राज नायब तहसीलदार ने जवाब पेश किया।


तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/6328 दिनांक 19.11.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट जमावन्दी चक 6 पीएस के खाता संख्या 7 मु०न० 51, 58 का रकबा 1.025 है० नहरी मय खाला मुश्तरका खाता में बलविन्द्र कौर पुत्री हरनेक सिंह 1/5 हिस्सा, वीरपाल कौर पुत्री हरनेक सिंह 1/5 हिस्सा जाति जटसिख सा० देह खातेदार रिकार्ड दर्ज है। वादीया वीरपाल कौर उर्फ प्रीतपालकौर द्वारा प्रस्तुत तमाम दस्तावेज व ग्राम पंचायत 7 पीएस की तस्दीक तथा वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थीया के पीहर पक्ष का नाम वीरपालकौर था परन्तु ससुराल वालों द्वारा नाम प्रीतपाल कौर रख लिया गया। वादीया वीरपाल कौर को वीरपाल कौर व प्रीतपाल कौर दोनों ही नामों से जाना पहचाना जाता है। उक्त दोनों नाम प्रार्थीया वीरपाल कौर के ही है

उपखंड अधिकारी
रायसिंहनगर

दोनों एक ही महिला के नाम है। इसी प्रकार वादीया हरविन्द्र कौर उर्फ बलविन्द्र कौर प्रस्तुत तमाम दस्तावेज व ग्राम पंचायत 7 पीएस की तस्दीक तथा वारिस प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थीया के पीहर पक्ष का नाम बलविन्द्रकौर था परन्तु ससुराल वालों द्वारा नाम बलविन्द्र कौर रख लिया गया। वादीया बलविन्द्र कौर को हरविन्द्र कौर व बलविन्द्र कौर ही नामों से जाना पहचाना जाता है। उक्त दोनों नाम वादीया हरविन्द्र कौर के ही हैं दोनों एक ही महिला के नाम है। अतः प्रार्थीया वीरपालकौर के स्थान पर राजस्व कार्ड में वीरपाल कौर उर्फ प्रीतपालकौर पुत्री हरनेक सिंह तथा बलविन्द्र कौर के स्थान बलविन्द्र कौर उर्फ हरविन्द्र कौर पुत्री हरनेक सिंह किया जाना उचित होगा। सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए त विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व ग्राम 6 पी.एस. पटवार हल्का 7 पीएस भू.अ.नि.क्षेत्र कीकरवाली, तहसील सिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7 मु.नं. 51-58 का रकबा 1.025 है की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, वार राशन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम स्व ग्राम 6 पी.एस. पटवार हल्का 7 पीएस भू.अ.नि.क्षेत्र कीकरवाली, तहसील सिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 7 मु.नं. 51-58 का रकबा 1.025 है अंकित नाम वीरपालकौर के स्थान पर वीरपालकौर उर्फ प्रीतपालकौर पुत्री हरनेक सिंह तथा बलविन्द्र कौर के स्थान पर बलविन्द्रकौर उर्फ हरविन्द्रकौर पुत्री हरनेक उर्फ दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के अनुसार प्रार्थी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत 7 पीएस की तस्दीक तथा वारिस प्रमाण पत्र अनुसार दोनों को ससुराल वालों के द्वारा इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना चाहता है कि किसी महिला के नाम नहीं है अतः वाद पत्र प्रार्थीयान रिपोर्ट तहसीलदार सिंहनगर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 7 पीएस के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125-136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 पी.एस. पटवार हल्का 7 पीएस भू. अ.नि.क्षेत्र कीकरवाली, तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के संयुक्त खाता संख्या 50/46-10/7-9/8-91/85 में कुल 15.7360 है. भूमि अंकित नाम क्रमशः "बलविन्द्रकौर" एवं "वीरपालकौर" के स्थान पर वादीयागण के दोनों नाम "बलविन्द्रकौर उर्फ हरविन्द्रकौर" एवम "वीरपालकौर उर्फ प्रीतपालकौर" पुत्रयान हरनेकसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। ऐसी डिग्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।



{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

राज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर